

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पौआसीन अधिकारी का नाम:- जाकिर हुसैन, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 11/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाइजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा-रामगढ़ उज्जलवास तहसील-नोहर, जिला हनुमानगढ़ जरिये श्री गोविंद कुमार मुख्य प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय 04, हनुमानगढ़ (राज.)।

---प्रार्थी

विरुद्ध


1. श्री राजाराम पुत्र श्री मंगलू राम मेघवाल, निवासी वार्ड नं. 01, हरिजन बस्ती, नजदीक रामदेव जी का मंदिर, गांव-बड़वाली, तहसील-नोहर, जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

---ऋणी

2. श्री रमेश कुमार पुत्र श्री रामकुमार निवासी गांव-बड़वाली, तहसील-नोहर, जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

---जमानती

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002



आदेश

दिनांक:-19.09.2019

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा-रामगढ़ उज्जलवास तहसील-नोहर, जिला हनुमानगढ़ के वकील को पूर्व में सुना जा चुका है। वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया था कि बैंक ने ऋणी को नकद साख ऋण सुविधा अप्रार्थीगण की आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं. 35 मिसाल नं. 34, वार्ड नं. 01, हरिजन बस्ती, नजदीक रामदेव जी का मंदिर, गांव-बड़वाली, तहसील-नोहर, जिला हनुमानगढ़ (राज.), जिसका क्षेत्रफल 30' गुणा 65' = 1950 वर्गफुट है, जो कि ऋणी श्री राजाराम पुत्र श्री मंगलू राम मेघवाल के नाम से है, जिसके विरुद्ध दिनांक 28.07.2009 को राशि 6,50,000/-रूपये (अखरे छः लाख पचास हजार रूपये मात्र) का ऋण शाखा-रामगढ़ उज्जलवास तहसील-नोहर, जिला हनुमानगढ़, द्वारा प्रदान किया था।

भारतीय स्टेट बैंक शाखा-रामगढ़ उज्जलवास तहसील-नोहर, जिला हनुमानगढ़ द्वारा अप्रार्थीगण को नकद साख ऋण सुविधा के तहत प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज एवं खर्चों के अदा करने की गारन्टी के रूप में ऋणियों से आवश्यक वस्तुओं का निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से साम्यिक बंधक किया है।

अप्रार्थीगण के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा-रामगढ़ उज्जलवास तहसील-नोहर, जिला हनुमानगढ़ से ऋण की राशि प्राप्त करने के पश्चात अपने खाते को संतोषजनक तरीके से संचालित नहीं किया गया। अप्रार्थी ने माफिक इकरार किरत एवं ब्याज की राशि समय पर जमा नहीं करवाने पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा-रामगढ़ उज्जलवास तहसील-नोहर, जिला हनुमानगढ़ द्वारा अप्रार्थीगण का खाता रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के दिशा-निर्देशानुसार गैर-निष्पादनीय आर्स्टि (NPA) के रूप में दिनांक 01.10.2017 को वर्गीकृत किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा भारतीय स्टेट बैंक शाखा-रामगढ़ उज्जलवास तहसील-नोहर, जिला हनुमानगढ़ की वकाया रकम एवं ब्याज की राशि समय पर अदा नहीं किये जाने पर अप्रार्थीगण का ऋण खाता गैर-निष्पादनीय आर्स्टि (NPA) होने के पश्चात प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा-रामगढ़ उज्जलवास तहसील-नोहर, जिला हनुमानगढ़ ने अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग नोटिस दिनांक 05.05.2018 अप्रार्थीगण को देते हुए बकाया रकम 4,91,150/-रूपये (अखरे चार लाख हजार एक सौ पचास रूपये मात्र) दिनांक 05.05.2018 तक का (ब्याज दिनांक 04.05.2018 तक का) व आगे का ब्याज एवं अन्य खर्च अतिरिक्त मांग नोटिस मिलने से 60 दिन की अवधि में अदा करने का लिखा तथा इस नोटिस में यह भी लिखा कि अप्रार्थीगण द्वारा समयावधि में रकम अदा न किये जाने पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा-रामगढ़ उज्जलवास तहसील-नोहर, जिला हनुमानगढ़ बकाया रकम की वसूली हेतु साम्यिक बंधकसुदा सम्पत्ति से वसूल करेगा, जिसके तमाम हर्जे एवं खर्चे की जिम्मेवारी अप्रार्थीगण की होगी। मांग नोटिस प्राप्ति के बावजूद अप्रार्थीगण ने भारतीय स्टेट बैंक शाखा-रामगढ़ उज्जलवास तहसील-नोहर, जिला हनुमानगढ़ को बकाया रकम न तो अदा की और न ही नोटिस का कोई जबाव दिया। प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा-रामगढ़ उज्जलवास तहसील-नोहर, जिला हनुमानगढ़ द्वारा अप्रार्थीगण को एक नोटिस अधिनियम 2002 की धारा 13 (4) के अन्तर्गत दिनांक 13.07.2018 को प्रेषित किया जिसमें साम्यिक बंधकसुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा-रामगढ़ उज्जलवास तहसील-नोहर, जिला हनुमानगढ़ को सुपुर्द करने का लिखा। अप्रार्थीगण इसके बावजूद भी ऋण की पूर्ण अदायगी प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा-रामगढ़ उज्जलवास तहसील-नोहर, जिला हनुमानगढ़ के समक्ष जमा नहीं करवायी गयी है और न ही साम्यिक बंधकशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक शाखा-रामगढ़ उज्जलवास तहसील-नोहर, जिला हनुमानगढ़ को सुपुर्द किया है। इस संबंध में बैंक द्वारा अपना शपथ पत्र भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किया है। प्रार्थी बैंक के पास साम्यिक बंधकशुदा आवासीय सम्पत्ति पट्टा नं. 35 मिसल नं. 34, वार्ड नं. 01, हरिजन बस्ती, नजदीक शिमदव जी का मंदिर, गांव-बड़वाली, तहसील-नोहर, जिला हनुमानगढ़ (राज.), जिसका क्षेत्रफल 30 गुणा 65' = 1950 वर्गफुट है, जो कि ऋणी श्री राजाराम पत्र श्री मंगलू राम मेधवाल के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा बैंक को दिलाये जाने तथा कब्जे में व्यवस्था बनाये हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद मुहैया कराये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। ऋणी एवं सहऋणी द्वारा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत ऋणी एवं सहऋणी को नोटिस दिनांक 05.05.2018 भिजवाया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी ऋणी एवं सहऋणी द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण का भुगतान भारतीय स्टेट बैंक को नहीं करने पर The



Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत तथा भारतीय स्टेट बैंक के शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ऋणी/अप्रार्थी द्वारा उक्त ऋण की सुविधा के एवज में भारतीय स्टेट बैंक के पास बंधकशुदा उक्त आवासीय सम्पत्ति पट्टा नं. 35 मिसल नं. 34, वार्ड नं. 01, हरिजन बस्ती, नजदीक रामदेव जी का मंदिर, गांव-बड़वाली, तहसील-नोहर, जिला हनुमानगढ़ (राज.), जिसका क्षेत्रफल 30' गुणा 65' = 1950 वर्गफुट है, जो कि ऋणी श्री राजाराम पुत्र श्री मंगलू राम मेघवाल के नाम से है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को इस अनुरोध के साथ अग्रोषित की जाती है कि प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ एवं प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 19.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।




जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़